प्रेषक,

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांक: 05 दिसम्बर, 2017**

विषय:- मै0 जे0आर0 एग्रीटेक प्रा0लि0, ग्राम-जगनेर, इगलास, जनपद-अलीगढ़ को उ0प्र0 खाद्य संस्करण उद्योग नीति-2012 के योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु स्वीकृत अनुदान की द्वितीय किस्त रू0-3332472.00 एवं तृतीय किस्त रू0-3236310.00 अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0उ0नि0-1259/15/द्वितीय किश्त/2017-18, दिनांक-17.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1/997/58-2-2013-10/12टी0सी0-1, दिनांक- 06.12.2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड सब कमेटी की तृतीय बैठक दिनांक: 12.01.2016 द्वारा **मै0 जे0आर0 एग्रीटेक प्रा0लि0, ग्राम-जगनेर, इगलास, जनपद-अलीगढ़** को उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान हेतु बैंक् द्वारा प्राप्त किये गये वास्तविक ब्याज के सापेक्ष नीति में प्राविधानित 07 प्रतिशत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3. अनुदान संख्या-10 में वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या-21/2017/289/58-2-2017-300(14)/2016, दिनांक-15/05/2017 में रू0-84.60 लाख, संख्या-27/2017/776/58-2-2017-300(7)/2017, दिनांक-28/08/2017 में रू0-118.45 लाख, एवं पुनर्वियोग के माध्यम से शासनादेश संख्या-34/2017/1198/58-2-2017-300(15)/2017, दिनांक-16/11/2017 में रू0-224.07 लाख की व्यवस्था आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. उपलब्ध धनराशि में से निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के प्रस्तावानुसार संस्था द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि रू0-6426911.00 का 7 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि **रू0- रू0-3332472.00 (रूपया तैतीस लाख बत्तीस हजार चार सौ बहात्तर मात्र)** को द्वितीय किश्त एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 में ब्याज के रूप में भुगतान की गयी वास्तविक धनराशि रू0-6241455.00 का 7 प्रतिशत की दर से अभिलेखों के आधार पर नियमानुसार निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा आकलित अनुमन्य ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति धनराशि **रू0- रू0-3236310.00 (रूपया बत्तीस लाख छत्तीस हजार तीन सौ दस मात्र)** को तृतीय किस्त के रूप में प्रतिपूर्ति हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं अनुबन्धों का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-65/58-2-2013-10/2012, दिनांक-21-01-2013 के संलग्नक (योजना हेतु गाईड लाईन) में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कडाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) अनुदान हेतु स्वीकृत द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की

.....2/-

http://sisandesh.up.nic.in

कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2018 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(8) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(9) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(10) उक्त धनराशि 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(11) योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-।।,ए दिनांक- 29 मई, 2012 का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।

(12) यह आदेश वित्त-(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-02/02/2017 एवं शासनादेश संख्या-08/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक: 03/08/2017 में प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-35/2017/1225(1)/58-2-2017, तद्दिनांक:</u>

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) आयुक्त/जिलाधिकारी, अलीगढ़ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in